# कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), /रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद–चित्रकूट

पत्रांक–487 /अधि0/ स0सु0/2020 दिनॉक–17 जून, 2020

**अधिसूचना–**

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों के उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम् गति सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है,।

और जहॉ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनॉक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम् गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत् संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, चित्रकूट जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

| क्र0 सं0 | मार्ग का नाम एवं संख्या | स्थान (कहॉ से कहॉ तक जहॉ गति निबंधित रहेगी) | यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर | चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान | चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान | समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बांदा–लालता रोड | लमियारी से लालता रोड | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 2 | कर्वी–मानिकपुर | कालूपुर से मानिकपुर | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 3 | मानिकपुर–इटवॉ मारकुण्डी | मानिकपुर से इटवॉ वाया मारकुण्डी | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 4 | कर्वी–ददरी | सोनेपुर से ददरी, वाया देवांगना मडैइयन | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 5 | मऊ–पूरब पताई | शिवपुर – पूरबपताई | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 6 | पहाडी–देवल | पहाडी – देवल | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |

Scanned by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | कमासिन–सीतापुर | साईपुर– सीतापुर वाया शिवरामपुर | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 8 | राजापुर–सरैया | राजापुर से सरैया वाया बोडी पोखरी | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 9 | राजापुर–कर्वी वाया पहाड़ी | बनकट मोड (कर्वी) से राजापुर (विद्युत सब स्टेशन) वाया पहाड़ी | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 10 | कर्वी–राजापुर (विद्युत सब स्टेशन) वाया बूढ़ा नांदिन | कसहाई से राजापुर (विद्युत सब स्टेशन) वाया बूढ़ा सेमरवार | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |
| 11 | डढ़ियन फतेहगंज–चित्रकूट (वाया भारतपुर कोल्हौवा) | कोल्हौवा से सीतापुर वाया (भागवतपुर–भरतकूप मन्दिर–शिवरामपुर) | 40किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 60 किमी0 प्रति घण्टा | 50 किमी0 प्रति घण्टा |

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(1) मोटरयान अधिनियिम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

(क) अग्नि शमन वाहन।

(ख) एम्बुलेंस।

(ग) पुलिस वाहन।

(घ) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(ड़.) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र का छोडकर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377 दिनॉक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(प्रदीप कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद–चित्रकूट।

Scanned by CamScanner

पत्रांक–487 /अधि0 / स0सु0 / 2020 समदिनांकित्

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशक, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ / प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), लखनऊ।
7. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), कानपुर।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन), चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा।
9. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिचूसना को जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड एवम् निर्माण खण्ड) कर्वी, जनपद–चित्रकूट को परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या–स0सु0 / 2020–44 स0सु0 / 2014–19 पृ0सं0–464 (1) / स0सु0 / 2019 दिनॉक 04.03.2020 के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्धारित किये गये गति सीमा को प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित विशिष्टियों के बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, बांदा को परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या–स0सु0 / 2020–44 स0सु0 / 2014–19 पृ0सं0–464 (1) / स0सु0 / 2019 दिनॉक 04.03.2020 के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्धारित किये गये गति सीमा को प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित विशिष्टियों के बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
12. प्रबन्धक / निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
13. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने अगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद–चित्रकूट।

Scanned by CamScanner